

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 369/2022

आशु सिंह पुत्र मानसिंह राठौड़, मु0पो0 राजलिया वाया कुचामन सिटी, जिला नागौर, पिन कोड 341508, मो0न0 9783062686

बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 15.12.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 369/2022 पर दिनांक 29.11.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/6472-73 दिनांक 29.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1541 दिनांक 13.12.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आशु सिंह पुत्र मानसिंह राठौड़, मु0पो0 राजलिया वाया कुचामन सिटी, जिला नागौर का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/473 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग को पत्र लिखकर आवेदक द्वारा चाही गई सूचना 3 दिवस में कार्यालय में भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है ताकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1541 दिनांक 13.12.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आशु सिंह पुत्र मानसिंह राठौड़, मु0पो0 राजलिया वाया कुचामन सिटी, जिला नागौर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 06.10.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/473 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग को पत्र लिखकर आवेदक द्वारा चाही गई सूचना 3 दिवस में कार्यालय में भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है ताकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं अपीलार्थी को 7 दिवस में निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

